न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 386/2025

श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार गुप्ता, निवासी कांकरिया, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

——अप्रार्थी

——

आवेदन पत्र बाबत राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

——

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री विकास कुमार, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 में दिये निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशानुसार 31.07.2025 को स्टे जारी किया गया था उसके बाद दिनांक 18.08.2025 को आदेश दिये गये है कि आज दिनांक 10.09.2025 की पालना के कम मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी कांकरिया मे तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं मे राशन की दुकान संचालित करते है। खाद्य सुरक्षा मे राशन कार्डो की संख्या 930 और यूनिट की संख्या 3850 है। खाद्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे गिव अप अभियान मे 60 राशन कार्डो के फार्म बन्द करने के लिए दिये हुए थे वह फार्म अभी तक बन्द नही हुए है। कुछ उपभेक्ता 20—25 राशन कार्ड गांव से पलायनं कर चुके है उनके भी राशन कार्ड बन्द होने है। मेरी पंचायत मे खाद्य सुरक्षा लिस्ट मे दूसरी पंचायत के 25—30 राशन कार्ड जुडे हुए है उनको भी विभाग द्वारा नही हटाया गया है। खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड 20—25 फार्म वार्षिक आय ज्यादा होने के कारण अपात्र पाये गये है उनको भी खाद्य विभाग द्वारा अभी तक नही हटाया गया है। खाद्य विभाग द्वारा दूसरी दुकान संचालित करने के लिए एनएफएसए के 500+500=1000 राशन कार्ड के उपर हाने पर दूसरी दुकान खोली जा सकती है। विभाग द्वारा हारे राशन कार्डो की संख्या कम होने के बावजूद भी नियमों को अनदेखा किया गया है। हमारी पंचायत मे विवाहित लडकियों के नाम व मृतक सदस्यों व पलायन की यूनिट लगभग 300 यूनिट भी अभी तक नही हटाई गई है। अतः श्रीमान्जी की सेवामे प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं से विनम्र आग्रह है कि कांकरिया गांव के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करे।

प्रकरण मे जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/895 दिनांक 10.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी0बी0 सिविल रिट पीटिशन संख्या 10577/2025 मुकेश कुमार मांवडिया बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि प्रवर्तन निरीक्षक, खेतडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त ग्राम कांकरिया मे खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लगभग 916 राशन कार्ड तथा 4249 यूनिट है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Scanned with CamScanner

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशानुसार 31.07.2025 को स्टे जारी किया गया था उसके बाद दिनांक 18.08.2025 को आदेश दिये गये है कि आज दिनांक 10.09.2025 की पालना के क्रम मे आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार गुप्ता निवासी कांकरिया मे तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं मे राशन की दुकान संचालित करते है। खाद्य सुरक्षा मे राशन कार्डो की संख्या 930 और यूनिट की संख्या 3850 है। खाद्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे गिव अप अभियान मे 60 राशन कार्डो के फार्म बन्द करने के लिए दिये हुए थे वह फार्म अभी तक बन्द नही हुए है। कुछ उपभेक्ता 20–25 राशन कार्ड गांव से पलायन कर चुके है उनके भी राशन कार्ड बन्द होने है। मेरी पंचायत मे खाद्य सुरक्षा लिस्ट मे दूसरी पंचायत के 25–30 राशन कार्ड जुडे हुए है उनको भी विभाग द्वारा नही हटाया गया है। खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड 20–25 फार्म वार्षिक आय ज्यादा होने के कारण अपात्र पाये गये है उनको भी खाद्य विभाग द्वारा अभी तक नही हटाया गया है। खाद्य विभाग द्वारा दूसरी दुकान संचालित करने के लिए एनएफएसए के 500+500=1000 राशन कार्ड के उपर हाने पर दूसरी दुकान खोली जा सकती है। विभाग द्वारा हारे राशन कार्डो की संख्या कम होने के बावजूद भी नियमों को अनदेखा किया गया है। हमारी पंचायत मे विवाहित लडकियों के नाम व मृतक सदस्यों व पलायन की यूनिट लगभग 300 यूनिट भी अभी तक नही हटाई गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कांकरिया गांव के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को राहत प्रदान करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम डुलानिया स्थित उक्त दुकान पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या क्रमशः 916 व यूनिट 4249 है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9)खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डुलानिया स्थित उचित मूल्य दुकान श्री भूपसिंह को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Scanned with CamScanner